

邚

कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएं कक्ष 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै—600 014

Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014

असाधारण आम बैठक की नोटिस NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

बुधवार, दिसम्बर 20, 2017 को पूर्वाहन 10.30 बजे चेन्नै Wednesday, the December 20, 2017 at 10.30 a.m. at Chennai



विषयवस्तु

	पृष्ठ संख्या
सूचना	4
टिप्पणियाँ	5
नामांकन फार्म	15
घोषणापत	16
उम्मीदवार का वैयक्तिक विवरण	18
प्रॉक्सी फार्म	20
उपस्थिति पर्ची	21

CONTENTS

	Page No.
Notice	22
Notes	23
Nomination Form	33
Declaration Form	34
Personal Information Form	36
Proxy Form	38
Attendance Slip	39



प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600 001 कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै,

रायपेट्टा, चेन्नै 600014

शेयरधारकों को सूचना

لو

एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक, बुधवार, दिनांक दिसंबर 20, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में, निम्नलिखित कारोबारों को करने के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाएगी :

1. निम्नलिखित संकल्प पारित करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद "योजना" कहा गया है) और इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999 (जिसे इसके बाद "विनियम" कहा जाएगा), जिन्हें अधिनियम की धारा 19 के अनुरूप बनाया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना (इसके बाद "भारिबैंक की अधिसूचना" के नाम से संदर्भित) सं.डीबीओडी सं.बीसी सं.46 / 29.39.001 / 2007—08 दिनांक नवंबर 01, 2007 जो सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95 / 29.39.001 / 2010—11 दिनांक मई 23, 2011 और सं.डीबीआर एपीपीटी.बीसी सं.39 / 29.39.001 / 2016—17 दिनांक नवंबर 24, 2016 के साथ और भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.16 / 83 / 2013—बीओ. | दिनांक सितंबर 03, 2013 जो सरकार द्वारा मार्च 25, 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर—सरकारी निदेशक के रूप में विचार किए जाने के लिए निर्धारित मापदण्डों (इसके बाद भारत सरकार के दिशानिर्देश के रूप में उल्लिखित) के साथ पठित हैं तथा उसके अंतर्गत किये जानेवाले किसी प्रकार के संशोधन के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9(3)(i) की शर्तों तथा इस संबंध में भा. रतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना— दिशानिर्देशों और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों में से (केन्द्रीय सरकार को छोडकर) एक निदेशक को निर्वाचित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

"संकल्प किया जाता है कि योजना, विनियमन और उनके अंतर्गत की गई अधिसूचनाओं तथा भारिबैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पिठत अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निर्वाचित निदेशक को एतद्द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे जिस दिन निर्वाचित किये गये हैं / निर्वाचित माना गया है, उसके बाद वाले दिन से पदभार ग्रहण करेंगे और इस तरह पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध की पूर्ति तक पद में रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : चेन्नै

किशोर खरात

दिनांक : नवंबर 15, 2017

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

i. स्पष्टीकरण विवरण

邚

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है।

ii. प्रतिनिधि (प्राक्सी) की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पास असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक दिसंबर 15, 2017 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

iii. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी या कार्पोरेट निकाय, जोिक बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक ि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा कक्ष, विंग—2—सी, दूसरा तल, सं.254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014, के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, दिनांक दिसंबर 15, 2017 को या उससे पहले, बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं करायी जाती है।

iv. उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास-सह-बैलट पेपर पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची—सह प्रविष्टि पास—सह—बैलट पेपर पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्व धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची—सह—प्रविष्टि पास को बैठक के स्थान पर सौंप दें। किसी शेयरधारक के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची—सह—प्रविष्टि पास पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे। पोल के समय बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रवेशपत्रों को अभ्यर्पित किया जाए।

v. मतदान करने के अधिकार:

अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पडनेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यधीन, प्रत्येक शेयरधारक, जो विनिर्दिष्ट तारीख, अर्थात शुक्रवार, दिनांक नवंबर 10, 2017 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन (चुनाव) में भाग लेने (नामांकित करना, चुनाव लंडना ओर मतदान देना) तथा ई—वोटिंग में या शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन के लिए असाधारण आम बैठक में मतदान देने के लिए हकदार होंगे तथा उनको विनिर्दिष्ट तारीख को अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट प्राप्त होगा।

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रिजस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, तो सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति बैठक में माग लेने का हकदार है और बैठक में नामित करने, चुनाव लडने और मतदान करने का हकदार है।

vi. ई—वोटिंग

बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मदों के संबंध में ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक नवंबर 15, 2017 की बैंक की असाधारण आम बैठक की नोटिस (ईजीएम नोटिस) में उल्लिखित संकल्प के संबंध में वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई—वोटिंग की प्रक्रिया को न्योयोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, कंपनी सचिव, थाणे को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई—वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:--

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 171117002 है

A. ई-मेल प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में :

- i. यदि आप डीमेट रूप से शेयर धारित करते हैं और किसी कंपनी के ईवीएसएन में मतदान देने के लिए आपने कभी www.evotingindia.com में लॉग—आन किया है तो आपके वर्तमान लॉग—इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाए।
- ii. ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।
- iii. अपने वोट डालने के लिए "शेयरहोल्डर" टैब पर क्लिक करें।
- iv. अब ड्राप डाउन मेनु से ''कंपनी नाम'' के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला नंबर ''ईवीएसएन'' का चयन करें और ''सब्मिट'' पर क्लिक करें।
- v. अब उपयुक्त बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें :--

	डीमेट रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए	भौतिक रूप से शेयर घारित करनेवाले सदस्यों के लिए
यूसर आईडी	एनएसडीएल हेतु 8 कैरक्टर डीपी आईडी तथा उसके बाद 8 अंकोंवाला ग्राहक आईडी सीडीएसएल हेतु 16 अंकोंवाला हिताधिकारी आईडी	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर
पीएएन *	ई—वोटिंग करते समय जब आपका सिस्टम मांगता है, तब आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा—न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पीएएन* दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक, दोनों के लिए लागू)	
डीओबी#	आपके डीमेट खाते में रिकार्ड किए अनुसार या कथित डीमेट खाते या फोलियो में कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार जन्म की तारीख को प्रविष्ट करें।	
लाभांश बैंक विवरण #	आपके डीमेट खाते में या कथित डीमेट खाते या फोलियो के लिए कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार लामांश बैंक विवरण दर्ज करें।	

^{*} जिन सदस्यों ने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना पीएएन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिफाल्ट नंबर का प्रयोग <Default number>, पीएएन फील्ड में करें।

[#] लॉगइन करने हेतु कृपया किसी एक विवरण दर्ज करें।

vi. इन विवरणों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद "सब्मिट" टैब को क्लिक करें।

کو

- vii. भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब ''पासवर्ड बदलने'' के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को बदलें। नये पासवर्ड में कम से कम 8 कैरक्टर हों जिसमें से एक ऊपरी केस (बड़े अक्षर A से Z) में हो, एक निचले केस (छोटे अक्षर a से Z) हों, एक अंक (0-9) हो और एक विशेष कैरक्टर हो (@#\$%&*)। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जिरए ई—वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सख्त सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि इस परिवर्तित पासवर्ड का प्रयोग, डीमैट धारकों द्वारा इस कंपनी के या अन्य किसी कंपनी के, जहाँ वे मतदान देने के लिए पात्र हैं, संकल्पों के लिए मतदान देने में किया जाएगा, बशर्ते कि कंपनी सीडीएमएल प्लैटफार्म के जिरए ई—वोटिंग का विकल्प देती है।
- viii. संबंधित ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसमें मतदान देने का विकल्प आप रखते हैं।
- ix. वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "हाँ / नहीं" का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का चयन करें। हाँ विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- x. आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- xi. आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद "सब्मिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- xii. आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- B. ईजीएम की नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करनेवाले सदस्यों (ऐसे सदस्य जिनके ई—मेल आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है/निक्षेपागार प्रतिमागी) या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले सदस्यों के मामले में :--
 - (i) कृपया मतदान देने हेतु ऊपर क्रमांक (ii) से क्रमांक (Xii) का अनुकरण करें।
- C. संस्थागत शेयरघारकों (अर्थात् वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे https://www.evotingindia.com में लाग ऑन करें और अपने को पंजीकृत करा लें, जिस खाते में वे नोट करना चाहते हैं, उसमें लिंक कर लें और अपना वोट दें। संवीक्षक द्वारा वोट का सत्यापन कर सकने के लिए वे सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में बोर्ड संकल्प की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करें।
- D. ई—वोटिंग/पोल की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख/कट—आफ की तारीख शुक्रवार, नवंबर 10, 2017 होगी। वोटिंग की अवधि रविवार, दिसंबर 17, 2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, दिसंबर 19, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक रूप से या अमूर्त रूप से बैंक के शेयर

विनिर्दिष्ट तारीख / कट—ऑफ की तारीख को, अर्थात् नवंबर 10, 2017 को रखे हुए हैं, अपने वोट इले. क्ट्रानिक रूप से दे सकते हैं। उसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग माड्यूल को असमर्थित किया जाएगा। किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के बाद शेयरधारक को उसे परिवर्तित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

E. यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपको कोई प्रश्न या पूछताछ है, तो आप "बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न" (एफएक्यू) या www.evotingindia.com में उपलब्ध ई-वोटिंग अनुदेश पुस्तिका का संदर्भ लें या helpdesk.evoting@cdsindia.com में हमें ई-मेल भेजें।

vii. बैठक में मतदान देनाः

矴

शेयरधारक—निदेशक के निर्वाचन के लिए मतदान, रिमोट ई—वोटिंग या असाधारण आम बैठक में वोटिंग द्वारा किया जाएगा। जिन्होंने ई—वोटिंग का विकल्प नहीं दिया है, वे असाधारण आम बैठक की तारीख को बैठक के स्थान पर आयोजित किए जानेवाले वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान देने के हकदार होंगे।

अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किये जाते ही वोटिंग शुरू होगी और मध्याह्न 12 बजे तक जारी रहेगी। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये जानेवाले संवीक्षकों की निगरानी में वोटिंग आयोजित एवं संवीक्षित की जाएगी। विनिर्दिष्ट/कट—ऑफ की तारीख, अर्थात, शुक्रवार, नवंबर 10, 2017 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समान वोट शेयरधारकों को मिलेगा।

वोटिंग के परिणामों को ई—वोटिंग के परिणामों के साथ जोड़ने के बाद वोटिंग के परिणाम बैंक की वेबसाइट में घोषित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

viii. मद सं. 1 के लिए स्पष्टीकरण विवरण :

शेयरधारक निदेशकों का चुनाव:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इसके बाद ''अधिनियम'' कहा जाएगा) की धारा 3(2बी)(सी) के प्रावधानों के अनुकरण में बैंक ने वर्ष 2007 में जनता को शेयर बेचने का प्रारंभिक प्रस्ताव (आईपीओ) किया था। अब बैंक की कुल प्रदत्त शेयर पूँजी में से केन्द्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों की शेयरधारिता 17.90 प्रतिशत है। चूँकि आम जनता को जारी पूंजी, कुल शेयर पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक परन्तु 32 प्रतिशत से कम है, अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार दो शेयरधारक—निदेशकों को निर्वाचित करना अनिवार्य है।

वर्तमान में श्री विनोद कुमार नागर एकमात्र शेयरधारक निदेशक हैं जिन्हें जुलाई 01, 2017 के प्रभाव से पुनः निर्वाचित किया गया है। शेयरधारक निदेशक के लिए एक रिक्ति है और असाधारण आम बैठक में उसे भरने का निर्णय किया गया है।

अतः शेयरधारकों (केन्द्रीय सरकार के अलावा) को, विभिन्न एवं संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियमन/ अधिसूचना में विस्तृत रूप से दी गई प्रक्रिया, जिसके संबंधित अंश/सार नीचे दिए गए हैं, के अनुसार अपने नामांकनों के प्रस्तुत करने का अधिकार है। शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले नामांकनों की संवीक्षा या उसके पश्चात् असाधारण आम बैठक में निर्वाचन के बाद एक निदेशक को निर्वाचित किया जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक को, उनके निर्वाचित किये जाने की तारीख के बादवाले दिन को पदमार ग्रहण करना होगा तथा इस प्रकार पदमार ग्रहण करने की तारीख से वे तीन साल की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

विधिक प्रावधान

کو

निम्नलिखित सारणी में इस संबंध में प्रयोज्य विभिन्न अधिनियम / विनियमन अधिनियम/ योजना/ विनियमन /अधिसूचनाओं में दिए गए प्रावधान प्रस्तुत किये गये हैं:

अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन	धारा 16 (1)	> आम निदेशकों पर प्रतिरोध
अधिनियम 1949	धारा 20	 अपने किसी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध।
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का	धारा 3 (2ई)	> मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध
अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 9 (3)(i)	 शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किये जानेवाले निदेशकों की संख्या।
	धारा 9 (3ए)(ए)से(सी) तक	> कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ।
	धारा 9 (३एए) धारा 9 (३एबी)	किसी भी व्यक्ति को, जब तक कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदण्डों की पूर्ति के साथ—साथ ईमानदारी और पिछला कार्य—निष्पादन रिकार्ड पर आधारित उचित स्टेटस नहीं रखते, निदेशक के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता।
	धारा 9 (3बी)	 कथित अधिनियम की धारा 9 (3ए) और 9 (3एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करनेवाले निर्वाचित निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक के अधि ाकार
	धारा 13(2)	> विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता।
राष्ट्रीयकृत बैंक	खण्ड 9(4)	> निर्वाचित निदेशकों के कार्यकाल की अवधि
(प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 10	» बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अनर्हता।
	खण्ड 11	> निदेशक का पद त्यागना।
	खण्ड ११ए	> निर्वाचित निदेशक को पद से निकालना।
	खण्ड 11बी	 निर्वाचित निदेशक के पद में होनेवाली आकस्मिक रिक्ति को भरना।
	खण्ड 12(बी)	 जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित निहित है (अभिरुचि रखते हैं), उसका प्रकटीकरण

अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
इंडियन बैंक (शेयर और	विनियम 10	> संयुक्त धारकों के अधिकारों का अनुप्रयोग
बैठक) विनियमन,	विनियम 53	> सामान्य बैठकों में मतदान देना
1999 यथासंशोधित	विनियम 55	> सामान्य बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक
	विनियम 56	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 57	> चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 58	> नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम 59	चुनाव विवाद
	विनियम 60	> निर्वाचन अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 61	 विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
	विनियम 62	> प्राक्सी
भारिबेंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी. सं.46 और 47 / 29.39.001 / 2007 – 08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी सं.बीसी. सं.95 / 29.39.001 / 2010 – 11 दिनांक 23.05.2011 और डीबीआर एपीपी. औ.सं.39 / 29.39.001 / 2016 – 17 दिनांक नवंबर 24, 2016	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुकरण में	 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए उचित एवं सुयोग्य मानदण्ड
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 03 सितंबर एफ.सं.1618312013—बीओ.। अं दिनांक मार्च 25, 2015 को ज बैंकों में अंश—कालिक गैर—नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश त गए संशोधन और अन्य वर्तमा दिशानिर्देश	र 2013 का पत्र, संदर्भ गैर भारत सरकार द्वारा ारी, सार्वजनिक क्षेत्र के -सरकारी निदेशकों की था उसके पश्चात किए	 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंश—कालिक गैर—सर. कारी निदेशकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश
भारिबैंक मास्टर परिपत्र दिनांव मास्टर परिपत्र सं. भारिबैंक/2 सं.डीआईआर.बीसी.10/13.03.0	.015–16/95, डीबीआर	 निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना।

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन—अधिनियम, योजना / विनियम तथा भारिबैंक की अधिसूचना सं.बीसी.सं.46 और 47/29.39.001/2007—08 दिनांक 01.11.2007 एवं बीसी.सं. 95/29.39.001/2010—11 दिनांक 23.05.2011 और डीबीआर एपीपीटी.सं.39/29.39.001/2016—17 दिनांक 24.11.2016 और भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.16/83/2013—बीओ. | दिनांक 03.09.2013 और भारत सरकार द्वारा गैर—सरकारी

निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में जारी दिनांक 25.03.2015 के दिशानिर्देशों से संबंधित अंशों का सार, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में लगाया जाएगा। नामांकन फार्मों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख, यथा दिसंबर 05, 2017 के पहले, कंपनी सचिव, इंडियन बैंक को उनके कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष में 254—260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पते पर अनुरोध भेजे जाने पर इनके सार, इसकी आशयित उम्मीदवारों को ई—मेल से भी भेजे जाएंगे।

1- निर्वाचन में प्रतिभागिता:

可

ऐसे शेयरधारक, जिनका नाम विनिर्दिष्ट तारीख/कट—आफ तारीख, यथा शुक्रवार, नवंबर 10, 2017 को एनएसडीएल/सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत रूप में शेयरधारकों के रजिस्टर/हितधारी स्वामी के रूप में पाया जाता है, वे केन्द्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात् वे नामित कर सकेंगे, निर्वाचन लड सकेंगे और मतदान कर सकेंगे।

2. (ए) बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अन्तर्गत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होना चाहता है, उसकी निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए

- (ए) निम्नांकित मदों में से एक अथवा अधिक की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :--
 - कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है।

भारिबैंक ने अपने दिनांक 24.11.2016 के पत्र के जिरये निम्नलिखित विषय, यथा 1.सूचना प्रौद्योगिकी, 2.भुगतान और निपटारा प्रणाली, 3.मानव संसाधन, 4.जोखिम प्रबंधन, 5.व्यापार प्रबंधन को भी शामिल किया है, जिनपर बैंकों में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

- बी) जो जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व कर सके; अथवा
- सी) कृषकों, कामगारों और दस्तकारों के हित का प्रतिनिधित्व कर सके।
- (बी) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार, जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसमें ''उचित एवं उपयुक्त'' होने की स्थिति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख (डीड ऑफ कोवनेंट) निष्पादित करने चाहिए तथा उसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अयोग्यताएँ :--

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य कर दिया जाएगा;
- (ए) यदि उसे कभी दिवालिया निर्णीत किया गया हो अथवा उसने भुगतान रोक दिया हो अथवा उसने अपने लेनदारों के साथ भुगतान में समझौता कर लिया हो; अथवा
- (बी) यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसा घोषित कर दिया हो; अथवा
- (सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो: अथवा

- (डी) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) के खण्ड (ई) तथा (एफ) के अन्तर्गत नामित हुए प्रबन्ध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद सम्भालने के अतिरिक्त, यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उप—धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषांगी बैंक में लाम के किसी पद पर है, और
- बी. यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना बीसी संख्या. 46 और 47/29.39.001/2007–08 और डीबीओडी के दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010–11 जो डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं 39/29.39.001/2016–17 दिनांक नवंबर 24,2016 और भारत सरकार के दिशानिर्देश एफ.सं.16/51/2012–बीओ.। दिनांक अप्रैल 28, 2015 और दिनांक जुलाई 08, 2016 तथा आएम दिनांक सितंबर 03, 2013 के साथ पठित हो, के अनुसार ''योग्य एवं उपयुक्त'' नहीं पाया जाता है।

4. शेयरधारकों की सूची

Ф

संशोधित इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1999 के विनियम 56 की व्यवस्थानुसार शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात्, सीडी में) बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष में बुधवार, नवंबर 15, 2017 से उपलब्ध होंगी। यह शेयरधारकों द्वारा चेन्नै में देय इंडियन बैंक के नाम से बने 50,000/— रुपए (पचास हज़ार रुपए मात्र) के ड्राफ्ट के माध्यम से खरीदे जाने के लिए है। कथित सूची खरीदना चाहने वाले उम्मीदवार ऐसी वचनबद्धता दें कि सूची का प्रयोग चुनाव हेतु प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर सभी कार्यदिवसों को (रविवार और बैंक छुट्टी को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक और शनिवार को 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 में निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

यदि कोई शेयरधारक चुनिन्दा/आंशिक सूचना की एक प्रति अथवा कम्प्यूटर प्रिंट चाहता है तो उसे सूचना की प्रति दी जाएगी। इसके लिए 5/- रुपए प्रति 1000 शब्द अथवा उसके आंशिक भाग, जिसकी प्रति लेनी है, की दर से पहले भुगतान करना होगा।

5. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियमन के विनियम 57 की शर्तों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं.बीसी.सं. 46/29.39.001/2007—08 दि.01.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी सं.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010—11 दि.23.05.2011 और विभिन्न नियमों के अन्य पात्र प्रावधानों की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तभी वैध होगा, जबः

- (ए) वह निर्वाचन में भाग लेने के लिए शुक्रवार, नवंबर 10, 2017 को जोकि निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्रता के परिकलन के लिए कट— ऑफ तारीख है, कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारित करनेवाले बैंक का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक तथा उनके निर्वाचित किये जाने पर अपने पदकाल के अंत तक न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर धारित करते हो।
- (बी) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख मंगलवार, दिसंबर 05, 2017 को अधिनियम/ योजना/विनियमन/भारिबैंक अधिसूचना के अन्तर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहरा दिया गया हो।
- (सी) नामांकन लिखित रूप में तथा अधिनियम के अन्तर्गत निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए अधिकृत कम से कम सौ शेयरधारकों द्वारा अथवा उनके विधिवत् नियुक्त अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, बशर्ते कि शेयरधारक जो एक कम्पनी है, का नामांकन कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसा किया जाता है, वहाँ उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के, महा प्रबंधक (लेखा), इंडियन बैंक, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै,

- रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पते पर भेज दिया जाए और ऐसी प्रति इस प्रकार की कम्पनी की तरफ से नामांकन मानी जाएगी।
- (डी) नामांकन के साथ एक घोषणा होती है, जिसे उम्मीदवार किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा आश्वासनों के सब—रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपित्रत अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करता/करती है कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन के लिए खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों के अन्तर्गत निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। साथ में उसका विधिवत् हस्ताक्षरित निजी विवरण (बायोडाटा) होता है, जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि ऐसे विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और यह भी वचन देना होता है कि ऐसी घटनाओं की पूर्ण जानकारी, जो घोषणा के पश्चात् सूचना से सम्बन्धित हैं, यथाशीघ्र बैंक को देगा/देंगी।
- (ई) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियमन द्वारा निर्धारित और अनुलग्नक प्रारूप के अनुसार है (प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध है)
- (एफ) वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 01. 11.2007 की अधिसूचना सं.डीबीओडी.सं.बीसीएनओ.46/29.39.001/2007—08 तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश के अंतर्गत निदेशक होने के अयोग्य न ठहराया गया हो।

6. नामांकन फार्मों का प्रस्तुतीकरण

矴

बैंक के निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ना चाहनेवाले शेयरधारक जो केन्द्रीय सरकार से अन्य शेयरधारक है, निम्नलिखित को प्रस्तुत करें :

- ए) विधिवत भरा गया घोषणा प्रपत्र।
- बी) चुनाव में भाग लेने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन।
- सी) वैयक्तिक सूचना, घोषणा और वचनबद्धता जिसके साथ संबंधित प्रलेख, प्रशंसापत्र अर्थात् बायो— डाटा, शैक्षित योजनाएं, अनुभव आदि के लिए प्रमाणपत्र संलग्न किये गये हों। उपर्युक्त सभी प्रलेख नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में हों और मंगलवार, दिसंबर 05, 2017 को अपराह्न 4.00 बजे या उसके पहले किसी कार्य दिवस को, सील बंद लिफाफे में महा प्रबंधक (लेखा), इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 के पास प्रस्तुत कर दें।

कथित नामांकन फार्म और अन्य प्रलेख सभी पहलुओं में पूर्ण हों, वरना नामांकन को अस्वीकार किया जा सकता है।

7. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

- (i) नामांकनों के प्राप्त होने की नियत तारीख़ के पश्चात् पहले कार्य दिवस अर्थात बुधवार, दिसंबर 06, 2017 को नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे रदद कर दिया जाएगा।
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2007 को जारी किए गए ''योग्य एवं उपयुक्त'' होने के अनुदेशों तथा गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत नामाकनों की संवीक्षा, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा की जाएगी।
- (iii) यदि निर्वाचन के जिरए भरी जानेवाली रिक्ति के लिए सिर्फ एक नामांकन मिले, तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित किए गए रूप से उनका नाम और पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। नए निर्वाचित निदेशक, उनके निर्वाचित किए जाने/निर्वाचित माने जाने की तारीख के बाद वाले दिन को पदभार ग्रहण करेंगे।

(iv) निर्वाचन होने की स्थिति में यदि वैध नामांकनों की संख्या एक से अधिक है तो निर्वाचन में अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित हुआ मान लिया जाएगा और उनके नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिए जाएँगे।

8. दिसंबर 20, 2017 को पोल की प्रक्रिया

निदेशकों के पद के लिए निर्वाचन में मतदान रिमोट ई—वोटिंग या पोल द्वारा गुप्त बैलट के माध्यम से ही किया जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा किये जाते ही बैलट पेपर जारी करना शुरू होगा और यह अपराह्न 12.00 बजे तक जारी रहेगा। पंजीकरण के समय शेयरधारक / प्राक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए इस प्रयोजनार्थ लगाये गए काउंटरों में बैलट पेपर — पास को सुपुर्द करने पर बैलट पेपर जारी किया जाएगा। नवंबर 10, 2017 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के समनुरूप वोट उनको प्राप्त होंगे। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी जो इस प्रयोजनार्थ बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता है और इसका पर्यवेक्षण, केन्द्रीय सरकार के एक नामिती द्वारा जाएगा जो अब्सर्वर और संवीक्षक की भूमिका निभाएंगे।

9. नामांकन वापस लिया जाना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह शुक्रवार, दिसंबर 15, 2017 को बैंक के बन्द होने के समय पहले अर्थात् 5.00 बजे के पहले, किसी भी समय पत्र या फैक्स भेजकर ऐसा कर सकता है।

10. विवाद

矴

किसी विवाद होने पर उसका निपटान इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1999 के विनियम 59 के अनुसार किया जाएगा।

11. सार

जैसािक पहले ही उल्लेख किया गया है, बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में प्रयोज्य अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के संबंधित अंश उपलब्ध हैं। नामांकन फार्मी की प्रस्तुति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख, अर्थात दिसंबर 05, 2017 के पहले इंडियन बैंक के कंपनी सचिव को उनके कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष, 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600014 में प्रत्याशित उम्मीदवारों से अनुरोध प्राप्त होने पर इस सार को उनके पास ई—मेल से भेजा जाएगा।

12. निदेशकों का स्वत्व

बैंक के निदेशकों को अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशकों को जो अपने नामांकन दाखिल करते हैं, उपर्युक्त कारोबार की मदों में सम्बद्ध अथवा हितबद्ध माना जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

किशोर खरात

दिनांक : नवंबर 15, 2017

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



कॉर्पोरेट कार्यालय 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

नामांकन फार्म

सेवा में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय 254-260, अव्वै षण्मगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 प्रिय महोदय.

	· ·			
ानव	दशका	का	ानव	चन

आपके दिनांक 15 नवंबर, 2017 के नोटिस के संदर्भ में, में	10 नवंबर, 201 7
शुक्रवार, अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने के रिकार्ड के दिन	
ईक्विटी शेयर धारित क	रनेवाला शेयरधारक, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती,
सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री, निवासी	को 20 दिसंबर, 2017 को आयोजित की
जानेवाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग	
1970 की धारा 9 (3) (प) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के	शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले इंडियन बैंक
के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने के लिए नामित कर	ता / करती हूँ ।
नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड नहीं किया है तो)	
डीपी आईडी सं और क्लाइंट आईडी नं (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड किया गया है)	
स्थान	
टिनांक	

टिप्पणी:

矴

- 1. यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया गया है तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ, जिस बैठक में ऐसा संकल्प पारित किया गया था, उसकी अधिप्रमाणित मूल प्रति संलग्न की जाए।
- 2. उम्मीदवारी को नामित करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- 3. यदि उपर्युक्त कॉलमों में से किसी कॉलम को रिक्त छोड दिया जाता है या विवरणों को गलत पाया जाता है तो नामांकन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अब्बै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

घोषणा

	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती
ानवासा	एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि :
ए.	मैं, 10 नवंबर, 2017, अर्थात निर्वाचन में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट/अंतिम तिथि, को बैंक के
	ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने
	पर, कार्यकाल के अंत तक शेयर धारण करने का वचन देता हूँ, और
बी.	*मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त
	(vi) विधि (vii) लघु उद्योग, आई टी/भुगतान और निपटान प्रणालियों/मानव संसाधन/ जोखिम
	प्रबंधन / कारोबार प्रबंधन (विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक के विचार में
	बैंक के लिए उपयोगी सिद्ध होगा) में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है तथा मैं अधिनियम
	की धारा 9 की उप धारा 3 ए की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, मजदूरों और कारीगरों
	के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसके प्रमाण के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण-पत्र
	प्रस्तुत करता हूँ, और
	*जो लागू न हो उसे काट दें।
सी.	मैं नंबरवाले नामांकन को स्वीकार करता / करती हूँ, और

- डी. मैं इंडियन बैंक के निदेशक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु तैयार हूँ।
- ई. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1999 तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना और सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के गैर—सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ और
- एफ. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ और
- जी. मैं न ही किसी प्रकार का लाभार्थ पदधारी हूँ, न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप—धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित रूप से किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ।
 - मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि

لو

- एच. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है अथवा मेरे द्वारा किए गए भुगतान को नकारा नहीं गया अथवा लेनदारों के साथ नहीं जोड़ा गया, और
- आई. मैं कभी दिमागी रूप से अस्वस्थ नहीं रहा एवं इसकी पुष्टि सक्षम न्यायालय द्वारा की गई है और मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया और एक आपराधिक अदालत द्वारा ऐसे किसी कृत्य हेतु दोषी नहीं ठहराया गया, जो नैतिक अधर्म का आह्वान करता है, और
- जे. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायाधीश या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी उद्घोषित नहीं किया गया है, और
- के. मैं किराया—खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा—बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूं और मैं एमपी / विधायक / एमएलसी / स्टॉक ब्रोकर नहीं हूं और
- एल. मैं किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिजर्व बैंक या बीमा कंपनी में

विगत वर्षों में किसी भी संवर्ग में दो पदाविधयों के लिए अथवा छः वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, सतत या खंडित रूप से निदेशक के रूप में नहीं रहा हूँ; और

- एम. मैं विगत में इस बैंक में किसी भी संवर्ग में दो पदाविधयों के लिए अथवा छः वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, बैंक के निदेशक के रूप में नहीं रहा हूँ; और
- एन. बैंक में निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर मैं उसी समय बैंक के साथ व्यावसायिक संबन्धों को खंडित कर दूँगा और निदेशक के रूप में मेरी कालाविध के दौरान और उसके बाद दो वर्षों तक बैंक के साथ कोई भी व्यावसायिक संबंध आरंभ नहीं करूंगा, और
- ओ. मैं वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में साझेदार नहीं हूं।
- पी. मैं वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक अथवा समवर्ती/संगामी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म में साझेदार नहीं हूं।
- क्यू. इस घोषणा के बाद इस सूचना से संबन्धित कोई भी घटनाएँ घटित होती हैं तो मैं यथाशीघ्र बैंक को उसकी पूरी सूचना देने और बैंक में निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन के बाद प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ , और
- आर. मैं बैंक के निदेशक के रूप में रहने तक, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, यथा संशोधित के अनुरूप प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूं , और
- एस. मैं नीचे मेरे अन्य कंपनियों / बैंकों में वर्तमान तथा विगत निदेशक पद के ब्यौरे दे रहा हूँ :

कंपनी, बैंक आदि का नाम	निदेशक पद के ब्यौरे, जैसे कालावधि, समय

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ा जाए)

टी. मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न कर रहा हूँ जोकि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही व संपूर्ण हैं ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड नहीं किया है तो)	
डीपी आईडी सं और क्लाइंट आईडी नं (यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड किया गया है)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं

न्यायाधीश, मेजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

矴



لو

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254–260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

उम्मीदवार का वैयक्तिक विवरण बैंक का नाम: इंडियन बैंक

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

		चम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण				
	Ų.	पूर्ण नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा नाम)				
	बी.	जन्म तिथि				
	सी.	शैक्षिक अर्हता				
		(शैक्षणिक / शैक्षिक)(कृपया अर्हता के साक्ष्य में स्व अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)				
		(शैक्षणिक / व्यावसायिक) (कृपया अर्हता के साक्ष्य में स्व अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें)				
	डी.	संबन्धित पृष्ठभूमि और अनुभव (बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3 ए) की आवश्यकतानुसार) (कृपया बैंक के निदेशक के रूप में अपना अनुभव दर्शाएँ)				
	ई.	स्थायी पता				
	एफ.	वर्तमान पता				
	जी.	ईमेल पता दूरभाष (लैंडलाइन) दूरभाष (मोबाइल)				
	एच.	1. आय कर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या (कृपया एक प्रतिलिपि संलग्न करें) 2. आय कर अधिनियम के तहत वैयक्तिक कर विवरण भरने का आयकर सर्कल / डिवीजन का नाम व पता				
	आई.	संबंधित ज्ञान और अनुभव(बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) का संदर्भ लें)				
	जे.	बैंक के निदेशक के संबंध में अन्य कोई सूचना				
II		निदेशकों के संगत संबंध				
	у.	उम्मीदवार के संबंधियों की सूची यदि कोई हो, जो बैंक से संबन्धित हों (कंपनी नियम (परिभाषा ब्यौरों संबंधी विनिर्देश) 2014 के नियम 4 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए के अनुरूप) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (77) का संदर्भ लें				
	बी.	उन उपक्रमों की सूची जिनमें उम्मीदवार की रुचि हो (कृपया कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए), धारा 300 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें)				
	सी.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुभाग 5 (एनई) के अर्थानुसार, उन उपक्रमों, प्रस्तावित व विद्यमान की सूची जिनमें उम्मीदवार की ठोस अभिरुचि हो।				
	डी.	बैंक का नाम जिसमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य रहा हो (जिस अवधि में सदस्य रहा हो उसका विवरण दिया जाए)				
	ई .	उम्मीदवार या क्र. संख्या ।। (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम द्वारा वर्तमान में बैंक से प्राप्त निधि अथवा गैर निधि सुविधाएं				

एफ. पामते, जिलमें रायर्ग्ह 11 (क) व (शी)			
ए. संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियाँ V जमीरवार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो ए. जमीरवार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो ए. जमीरवार कोई व्यावसायिक संस्था / निकार का सदस्य हो तो, अनुशासिक कंप्रताशी के विरुद्ध को हो हो या पूर्व में उम्मीरवार के राजा में परिणत हुआ हो या जमीरवार किसी भी व्यवसाय करने के लिए प्रिवंधित किया गया हो। वी. जमीरवार और /या (बी) व (सी) में सुवित उपक्रम के विरुद्ध आर्थिक कानून या विनियमन के उत्लंधन हेतु विधाराधीन या शुरू किए गए या राजा में परिणत अमिरोग के विरुद्ध विधाराधीन या शुरू किए गए या राजा में परिणत आपराधिक अमिरोग के विरुद्ध विधाराधीन या शुरू किए गए या राजा में परिणत आपराधिक अमिरोग के विरुद्ध विधाराधीन या शुरू किए गए या राजा में परिणत आपराधिक अमिरोग के विरुद्ध विधाराधीन या शुरू किसा अन्तरा के अधीन अनर्ह है? इं. क्या जमीरवार या वी) व (सी) में सुवित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंची की ओर से जान-पदलात की गई है. एक. क्या जमीरवार या वी) व (सी) में सुवित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंची की ओर से जान-पदलात की गई है. एक. क्या जमीरवार या वी) व (सी) में सुवित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंची को ओर से जान-पदलात की गई है. एक. क्या जमीरवार या वी) व (सी) में सुवित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंची को ओर से जान-पदलात की गई है. चंका जमीरवार या वी) व (सी) में सुवित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंची की या पर्योद हो से विभाग में साथा में सुवित हो हो से विभाग में साथा हो सुव्याव में		किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के संदर्भ में वर्तमान में अथवा पूर्व में	
ए. जमीववार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो ए. जगर उम्मीदवार कोई व्यावसायिक संस्था / निकाय का सदस्य हो तो, अनुशासनिक कार्यवाही के विवरण जो विचाराधीन हो या शुरू की गई हो या पूर्व में उम्मीदवार के राजा में परिणत हुआ हो या उम्मीदवार किसी मी व्यवसाय करने के लिए प्रतिविध्यत किसा गया हो। बी. उम्मीदवार की रूप या (वी) व (सी) में सूचित उपक्रम के विरुद्ध आर्थिक कानून या विनियमन के उल्लंघन हेतु विचाराधीन या शुरू किए पए या साजा में परिणत अभियोग के विवरण सी. किले वर्ष में उम्मीदवार के विरुद्ध विचाराधीन या शुरू किए गए, साजा में परिणत अभियोग के विवरण सी. क्या उम्मीदवार करनी अशिनियम 2013 की छारा 164 (कंपनी अशिनयम 1956 की छारा 274) के अंतरांत दी गई किसी जनर्रता के अधीन जनई है? ई. क्या उम्मीदवार या । (वी) व (सी) में सूचित उपक्रमों में सरकारी विमाग या एजेंसी की ओर से जीन-पडताल की गई है? एक. त्या उम्मीदवार को सीमा शुरूक-रेजपाद शुरूक-अग्रव कर/ विदेशी विनियम/अन्य राजस्य प्राधिकारी के विवरण विपाय में विनियम / विगयम विनियम / विचरण के लिए दोषी याचा गया है? यहा ता तथीर दें। जी. वा उम्मीदवार को सेवी, भारतीय रिजर्व केंक आईआरडीए, डीसीए, एमसीए और रिवित आदि विनियमन के विरू विनियमन केंच के आईआरडीए निक्कों के। जिन्न में किस विपाय मात्र है? विकर्ण के लिए विनियमन केंच केंच अग्रवारी / निक्कों के। जिन्न में किस विन्यान केंच के अपरीय में या निक्कों के उल्लंधन करना है है. विक्कि किसी तक्षी कारणों से या अवदिश्व साथ विज्ञातिकार के अस्ता में है विक्वा प्रत्यावर्तित / रदद किया गया हो, इस कॉलाम में बताना जरूरी नहीं है, विक्व प्रत्यावर्तित / रदद किया गया हो, इस कॉलाम में बताना जरूरी नहीं है, विक्व प्रत्यावर्तित / रदद किया गया हो, वो वस्तका यहाँ पल्लेख करना होगा)। V मद संख्या हो हो। के सबंघ में और कोई स्पष्टीकरण/ सुवना तथा सही एवं जिंद करता / किस प्रताद के उपसीत / ज्यावर्तित / रदद किया सुवन सुवन के विचर सुवन सुवन विवर सुवन विवर सुवन विवर सुवन सुवन के अपरीत प्रताद के उपसीत जरन्त है तो उपसेक में विवर करने का वचन देता/देती हूँ। ं कि क के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंधिदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ। होता हो सुवन के हिला है है कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलनक के रूप में दिनांक वार तथा उपपुक्त प्रति–संदर्ध के साथ दें। प्राप्त	III	व्यावसायिक उपलब्धियों के अभिलेख	
प. अगर जम्मीदवार कोई व्यावसाविक संस्था/निकाय का सदस्य हो तो, अनुशासनिक कार्यवाही के विवरण जो विवारायीन हो या शुरू की गई हो या पूर्व में जम्मीदवार के सजा में परिणत हुआ हो या जम्मीदवार किसी भी व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो। बी. जम्मीदवार और/या ॥ (बी) व (सी) में सुवित उपक्रम के विरुद्ध आर्थिक कानून या विनेयमन के उल्लंधन हेतु विवारायीन या शुरू किए गए या सजा में परिणत अधियोग के विवरण सी. पिछले वर्षों में जम्मीदवार के विरुद्ध विवारायीन या शुरू किए गए सजा में परिणत आपरोधिक अभियोग के विवरण श्री. वया जम्मीदवार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274) के अतर्गत दी गई किसी अनर्रदता के अधीन अनर्र है? ई. वया जम्मीदवार या ॥ (बी) व (सी) में सुवित उपक्रमों में सरकारी विमाग या एजेंसी की ओर से जीज-पउताल की गई है? एफ. वया जम्मीदवार को सीमा शुरूक/जप्ताह शुरूक/आय कर/ विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकशी के नियम/विनियम/विपयो अपरेशाओं के उल्लंधन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हा. तो ब्योरे दें। जी. वया जम्मीदवार को सीमा शुरूक/जप्ताह शुरूक/आय कर/ विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकशी के नियम/विविग्यम के के उन आर्थआरोश के उल्लंधन के लिए दोषी पाया गया है? (श्रवी) जम्मीदवार के विरूप विनियमकों के उन आर्थआरोश/विक्रमों को, जिन्दें पूर्णत प्रत्यावित्र /रद्द किया गया हो, इस कॉल्या में बताना जरूरी नहीं है. लेकिन किन्दी तकनीको कारणों से या अविये सीमा या क्षेत्राधिकार के अभाव में, निक पूर्णता पर, प्रत्यावित्र /रद्दिकरणा किया गया है तो उसका यही उल्लेख करना होगा)। V मद संख्या ने साथि विमायक का आरोश अस्थित करना होगा)। प्राप्त पर, प्रत्यावत्र प्रत्येश लोबत है, तो उसका मी उल्लेख करना होगा)। प्रत्य संख्या से साथियत सुवना श्री जम्मीदिव के समी निवेशकों से अपेशित प्रसंविदा विलेख को निणादित करने का वचन देता/देती हूँ। वैंक के समी निवेशकों से अपेशित प्रसंविदा विलेख को निणादित करने का वचन देता/देती हूँ। संख के अपी जम्म प्रसंद नहीं है, कृपया अपेशित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्ग के साथ दें। प्रत्य के प्रमी जमाद प्रसंदित के समीवित के समीवित के विवार के स्व में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्ग के साथ दें। प्रत्य के प्रमीदवार को सिला प्रति उपमीदवार के हस्तार हो। प्राप्त वित्र स	у.	संबन्धित व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
कार्यवाहि के विवरण जो विचाराधीन हो या शुरू की गई हो या पूर्व में उजमीदवार के सजा में परिणत हुआ हो या उजमीदवार किसी भी व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो । बी. उज्मीदवार और /या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रम के विरुद्ध आर्थिक कानून वाविनयमन के उल्लंधन होतु विचाराधीन या शुरू किए गए या साजा में परिणत अभियोग के विवरण सी. पिछले वर्षों में उज्मीदवार के विरुद्ध विचाराधीन या शुरू किए गए, साजा में परिणत आपराधिक अभियोग के विवरण डी. वया उज्मीदवार कंपनी अधिनयम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनयम 1956 की धारा 224) के अंतर्गत दी गई किसी अनर्हता को खारा व्यवसाय कार्य के अधिन व्यवसाय कार्य है? ई. वया उज्मीदवार या II (बी) व (सी) में सूचित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंसी की और से जॉच-पडताल को गई है? एफ. वया उज्मीदवार को सीमा शुरूक उदयाद शुरूक /आय कर/ विदेशी विवियम /अन्य राजस्व प्राधिकारों के नियम / विवार प्रथा को सीमा शुरूक उदयाद शुरूक /आय कर/ विदेशी विवियम /अन्य राजस्व प्राधिकारों के नियम / विवार प्रथा को सीमा शुरूक उदयाद शुरूक /आय कर/ विदेशी विवियम /अन्य राजस्व प्राधिकारों के नियम / विवार अधित अप विवियम /अन्य राजस्व प्रधिकारों के नियम के नियम को साथ होता अधित किया गया है? (बचि उज्मीदवार को सीम) शुरूक उदयाद शुरूक /आय कर/ विदेशी विवियम /अन्य विवर्ध प्रधा या या उपि विवर्ध के आर्थ अधित अधित प्रथा गया है? (बचि उज्मीदवार के विश्व विवर्ध के आर्थ को नियम के अप विवर्ध कर विवर्ध के नियम नियम के स्था के उत्त आर्थ शिनक में नियम नियम के का विवर्ध के नियम नियम के नियम	IV	उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो	
सी. पिछले वर्षों में उप्मीदवार के विरुद्ध विचाराधीन या शुरू किए गए या सजा में परिणत अमियोग के विवरण सी. पिछले वर्षों में उप्मीदवार के विरुद्ध विचाराधीन या शुरू किए गए, सजा में परिणत आपराधिक अभियोग के विवरण औ. क्या उप्मीदवार कंपनी अधिनयम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनयम 1956 की धारा 274) के अंतर्गत दी गई किसी अनहंता के अधीन अनहं है? ई. क्या उप्मीदवार को सीमा शुरूक /जराम शुरूक /आय कर / विदेशी विनियम /अन्य राजस्व प्रक्षित्रार्थ के निवस्त विविच्या /विधायी अपेक्षाओं के उत्तर्यान के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो ब्योरे दें जी. क्या उप्मीदवार को सीमा शुरूक /जराम हुक /आय कर / विदेशी विनियम /अन्य राजस्व प्रक्षित्रार्थ के तिथा विविच्या /विधायी अपेक्षाओं के उत्तर्यान के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो ब्योरे दें जी. क्या उप्मीदवार को सीमी, भारतीय रिजु के आईआरडीए, डीसीए, एमसीए और सिक्त आदि विनियमन संस्थाओं हारा प्रतिकृत नोटिस दिया गया है? (यद्यपि उप्मीदवार के लिए विनियमकों के उन आदेशों /निक्कर्षों को, जिन्हें पूर्णता पर, प्रत्यावर्तत /रद्द किया गया हो, इस जीना में बताना जरूती नहीं है, लेकन किन्दी तकनीकी कारणों से या अविधे सीमा या सेजाधिकार के अमाव में, न कि मुणता पर, प्रत्यावर्तत /रद्द किया गया हो, इस जीना में बताना जरूती नहीं है, लेकन किन्दी तकनीकी कारणों से या अविधे सीमा या सेजाधिकार के अमाव में, न कि मुणता पर, प्रत्यावर्तत /रद्दीकरण किया गया है जोर अपीतीय/न्यायालय प्रक्रिया विच्या मात्र है जोर अपीतीय/न्यायालय प्रक्रिया लिखे का चार है जीर अपीतीय/न्यायालय प्रक्रिया लिखे को आदेश अस्थायों कु पर स्थारीत किया गया है और अपीतीय/न्यायालय प्रक्रिया लिखे हैं तो उपका भी उत्तरेख करना होगा)। ▼ पर संख्या सो से संबंध में और कोई स्पष्टीकरण /सूचना तथा सही एवं उचित विच्या को पर संबर्ध के अपूक्त जानकारी लिखे को सीपी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ। ऑत के से सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ। उत्तरनम्ब समिति की टिप्पीणयां : प्रत्यान स्वित्या प्राप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्न के रूप में दिप्पीण्यां :		कार्यवाही के विवरण जो विचाराधीन हो या शुरू की गई हो या पूर्व में उम्मीदवार के सजा में परिणत हुआ हो या उम्मीदवार किसी भी व्यवसाय करने के लिए	
जीपराधिक अभियोग के वितरण जी शिनाय है है वित्त विष्ण नी अधिनियम 2013 की घारा 164 (कंपनी अधिनियम 1956 की घारा 274) के अंतर्गत दी गई किसी अनर्हता के अधीन अनर्ह है? ई. क्या उम्मीदवार या (बी) व (सी) में सूचित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंसी की ओर से जाँच-पडताल की गई है? एफ. क्या उम्मीदवार को सीमा शुक्क /जयाय कर्/ विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारी के नियम/विनयम/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो ब्योरे वें जी. क्या उम्मीदवार को सीमा शुक्क /जयाय श्री श्री हों तो ब्योरे वें जी. क्या उम्मीदवार को सी मारतीय रिजर्व केंक आईआरडीए, डीसीए, एमसीए और सिविल आदि विनियमन संस्थाओं हारा प्रतिकृत नोटिस दिया गया है? (यथि उम्मीदवार कें लिए विनियमानकें कें जन आदेशों / निकर्म कें , जिल्हें पूर्णतः प्रत्यावर्ति / रद्द किया गया हो, इस कॉल्म में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से या अविष सीमा या क्षेत्राधिकार के अभाव में न कि गुणता पर, प्रत्यावर्तन / रद्दीकरण किया गया है तो उसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा। यदि नियमक का आदेश अस्थानी रूप से स्थिति किया गया है और असीवीय / न्यायात्व प्रक्रिया जिंदित हैं, तो उसका पी उल्लेख करना वाहोगा) प्रत्य संख्या सो कें संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबच्धित सूचना प्रत्य संख्या सो कें संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबच्धित सूचना प्रत्य संख्या सो कें संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबच्धित सूचना प्रत्य संख्या सो कें संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबच्धित सूचना प्रत्य संख्या सो कें संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबच्धित सूचना प्रत्य संख्या सो कें संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबच्ध स्वचचता सूचना प्रत्य संख्या सो कें संबंध में और कोई स्पष्टीकरण / सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय मा है प्रत्य संख्या सो कें संबच्या स्वचचच से सा सुचना सूचना तथा सही एवं उचित निर्णय कें संख्या सुचनाय संख्या सूचनाय सूचना सूचनाय सूचन		या विनियमन के उल्लंघन हेतु विचाराधीन या शुरू किए गए या सजा में परिणत	
धारा 274) के अंतर्गत दी गई किसी अनर्हता के अधीन अनर्ह है? ई. कया उम्मीदवार या (बी) व (सी) में सुवित उपक्रमों में सरकारी विमाग या एजेंसी की ओर से जाँच—पड़ताल की गई है? एफ. क्या उम्मीदवार को सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आय कर / विदेशी विनियम / अन्य राजरस प्राविकारी के नियम / विनियम / विचायी अधेक्षाओं के उत्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यिह हां, तो व्योरे दें। जी. क्या उम्मीदवार को सीबी, मारतीय रिज़र्व बैंक आईआरडीए, डीसीए, एमसीए और सिविल आदि विनियमन संस्थाओं द्वारा प्रतिकृत नोटिस दिया गया है? (यद्यपि उम्मीदवार के लिए विनियमकों के उन आदेशों / निककों को, जिन्हें पूर्णत प्रत्यावर्तित / रद्द किया गया है को काम में बताना जरूरी नहीं है, किन्त किन्हीं तकनीकों कारणों से या अविद्यं सीमा या क्षेत्राधिकार के अमाव में, न कि गुणता पर, प्रत्यावर्तन / रद्दीकरण किया गया है तो उसका यहाँ उत्लंख करना जरूरी हों। यदि नियमक का आदेश अवश्याधि रूप सं स्थिति किया गया है और अपीलीय / न्यायालय प्रक्रिया लिवत है, तो उसका भी उत्लंख करना होगा)। V मद संख्या से के संबंध में और कोई सम्बंधिकार मुंबना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबन्धित सूवना *** *** *** *** ** ** ** **			
ण्णः वया उम्मीदवार को सीमा युक्त / उत्पाद युक्क / आय कर / विदेशी विनियम / अच्य राजस्य प्राधिकारी के नियम / विनयम / विश्वायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो ब्योरे दें । जी. क्या उम्मीदवार को सेबी, मारतीय रिज़र्व बैंक आईआरडीए, डीसीए, एमसीए और सिबिल आदि विनियमन संस्थाओं हारा प्रतिकृत नोटिस दिया गया है? (शविष उम्मीदवार के लिए विनियामकों के उन आदेशों निष्कर्यों को, जिन्हें पूर्णतः प्रत्यावर्तित / रदद किया गया हो, इस कॉलम में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से या अविध सीमा या क्षेत्राधिकार के अमाव में, न कि गुणता पर, प्रत्यावर्ता / इत्याक्त या गया है तो उसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा। यदि नियामक का आदेश अस्थायों रूप से स्थित किया गया है और अपीलीय / न्यायालय प्रक्रिया लंबित है, तो उसका भी उल्लेख करना होगा)। ▼ मद संख्या से के संबंघ में और कोई स्पष्टीकरण / सूबना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबन्धित सूबना ▼ जन्म जा और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी विंख हो सकता है, को यथाशीघ पूर्ण रूप से बैंक को सृचित करने का वचन देता / देती हूँ इसक् सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता / देती हूँ धान : ३ नांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर □ उत्यन्त सित्त कर सित्त जम्मीदवार के हस्ताक्षर हो □ नामांकन सिमित की टिप्पणियां : □ जहां भी जगह पर्यान्त सिहत) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हो □ नामांकन सिमित की टिप्पणियां :			
राजस्व प्राधिकारी के नियम/विनियम/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि हां, तो ब्यौरे दें। जी. क्या उम्मीदवार को सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक आईआरडीए, डीसीए, एमसीए और सिबल आदि विनियमन संस्थाओं द्वारा प्रतिकृत नोटिस दिया गया है? (यद्यिप उम्मीदवार के लिए विनियमकों के उन आदेशों/निष्कर्षों को, जिन्हें पूर्णतः प्रत्यावर्तित/रद्द किया गया हो, इस कॉलम में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से या अविध सीमा या क्षेत्राविकार के अमाव में, न कि गुणता पर, प्रत्यावर्तन/रद्दीकरण किया गया है तो उसका यहां उल्लंख करना जुरूरी होगा। यदि नियामक का आदेश अस्थारी रूप से स्थितित किया गया है और अपीलीय/न्यायालय प्रक्रिया लंबित है, तो उसका भी उल्लंख करना होगा)। V मद संख्या से के संबंघ में और कोई स्पष्टीकरण/सूबना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबन्धित सूबना श्री का पुत्र/पुत्री/पत्नी पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी दे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी वंघ हो सकता है, को यथाशीघ पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। , बैंक के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ। थान : उन्लंक : । जहां भी जगह पर्यान्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलन्तक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलन्तक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों। नामांकन समिति की टिप्पिण्यां:	ई.	क्या उम्मीदवार या ll (बी) व (सी) में सूचित उपक्रमों में सरकारी विभाग या एजेंसी की ओर से जाँच–पडताल की गई है?	
सिबिल आदि विनियमन संश्थाओं द्वारा प्रतिकृत नोटिस दिया गया है? (यद्यपि उम्मीदवार के लिए विनियमकों के उन आदेशों / निष्कर्षों को, जिन्हें पूर्णतः प्रत्यावर्तित/रद्द किया गया हो, इस कॉलम में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से या अविध सीमा या क्षेत्राधिकार के अमाव में, न कि गुणता पर, प्रत्यावर्तन/रद्दीकरण किया गया है तो उसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा। यदि नियमक का आदेश अस्थायी रूप से स्थानित किया गया है और अपीलीय/न्यायालय प्रक्रिया लंबित है, तो उसका भी उल्लेख करना होगा)। V मद संख्या से के संबंध में और कोई स्पष्टीकरण/सूबना तथा सही एवं उचित निर्णय से संबन्धित सूबना प्रत्यम क पुत्र/पुत्री/पत्नी पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युकत जानका रे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानका रे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी बंध हो सकता है, को यथाशीध पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। हैं, बैंक के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ। खान : उनांक : उनांक : उनमीदवार के हस्ताक्षर होनाकन : तेतांक पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। नामांकन सिमित की टिप्पणियां :		राजस्व प्राधिकारी के नियम/विनियम/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी	
विर्णय से संबन्धित सूचना		सिबिल आदि विनियमन संस्थाओं द्वारा प्रतिकूल नोटिस दिया गया है? (यद्यपि उम्मीदवार के लिए विनियामकों के उन आदेशों/निष्कर्षों को, जिन्हें पूर्णतः प्रत्यावर्तित/रद्द किया गया हो, इस कॉलम में बताना जरूरी नहीं है, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से या अवधि सीमा या क्षेत्राधिकार के अभाव में, न कि गुणता पर, प्रत्यावर्तन/रद्दीकरण किया गया है तो उसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा। यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है और	
ता पुत्र/पुत्री/पत्नी पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युकत जानका रे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी बंध हो सकता है, को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। , बैंक के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ। थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर नुत्वन्वक : तिट : जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों। नामांकन सिमिति की टिप्पणियां:			
रे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घटनाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी बंध हो सकता है, को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। हैं, बैंक के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ। थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर नुलग्नक : तेट : जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों। नामांकन सिति की टिप्पिणयां:		<u>वचन</u>	
isis हो सकता है, को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता / देती हूँ । ं, बैंक के सभी निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता / देती हूँ । थान : उम्मीदवार के हस्ताक्षर विलंग : विलंग : विलंग : उम्मीदवार के हस्ताक्षर विलंग : विलंग : उम्मीदवार के हस्ताक्षर विलंग : विलंग : उम्मीदवार के हस्ताक्षर विलंग : विलंग	:	का पुत्र/पुत्री/पत्नी पुष्टि	करता / करती हूँ कि उपर्युकत जानका
थान : देनांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर ानुलग्नक : ाे ट : . जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। . प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों। नामांकन समिति की टिप्पणियां :	रे उत्तम ज्ञान iबंध हो सकता	और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद जो भी घट है, को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से बैंक को सूचित करने का वचन देता/देती हूँ।	नाएं घटेंगी जिनका उपर्युक्त जानकारी
हेनांक : जुतुरुनक : निट : . जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। . प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों। नामांकन समिति की टिप्पणियां :	, बैंक के सभी	निवेशकों से अपेक्षित प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता / देती हूँ ।	
ोट : . जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। . प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों। नामांकन समिति की टिप्पणियां :	देनांक :		उम्मीदवार के हस्ताक्षर
. जहां भी जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया अपेक्षित जानकारी को अनुलग्नक के रूप में दिनांक वार तथा उपयुक्त प्रति—संदर्भ के साथ दें। . प्रत्येक पृष्ठ पर (अनुलग्नक सहित) उम्मीदवार के हस्ताक्षर हों।			
नामांकन समिति की टिप्पणियां :	. जहां भी जग		ग उपयुक्त प्रति–संदर्भ के साथ दें।
समिति सदस्य समिति सदस्य समिति अध्यक्ष		नामांकन समिति की टिप्पणियां :	
सामात सदस्य सामात सदस्य सामात अध्यक्ष		100 1121 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1100 mmm
		तानात तदस्य सामात सदस्य	নাশান অধ্বধ
	थान :		



کو

कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष 254—260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरा जाए)

पंजीकृत फ़ोलियो संख्या		डीपी आईडी	
		क्लाइंट आईडी	
(यदि शेयर डीमेटीरियलाइर	ा न नहीं किये गए हो तो)		। टेरियलाइज किये गए हो तो)
(414 (144 6) 16)(14(1))	Tel 144 Ty et sily	(414 (141 (141)	7.4.1.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
भैं / हम,	राज्य	के	ज़िले के
निवासी हैं, इंडियन बैंक का/के शेयरध			
राज्य के	जिले व	 	निवास
हैं, को या उनके द्वारा न हो पाने पर श्री जिले के	/ श्रामता निवासी है	ज। को २० टिसंबर २०१७ को	पण्यातः । गातः १०३० ब्रज्जे दमेज एमधारमी नगः
राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600028 में ३ बैठक में मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में ३	और उसके किसी स्थगन पर आयोजि	त की जानेवाली इंडियन बै	ंक के <mark>शेयरधारकों</mark> की असाधारण आ
आज		-	
		प्रथम /	कृपया 15 पैसे का राजस्व स्टेंप विपकाएँ ' एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर नाम		ŕ	•
पता			
4(I)			
<u>я</u> т	क्सी फ़ार्म पर हस्ताक्षर करने और उसे	दायर करने के लिए अनुदे	श
. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक	वैध नहीं होगी, जब तक		
ए.) वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले	में, शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लि	खेत रूप में विधिवत प्राधिकृत	नहीं किया जाता है ;
बी.) संयुक्तधारकों के मामले में रजि जाता है।	बी.) संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया		
सी.) निगमित निकाय के मामले में उ	सके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधि	प्रकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ता	क्षर किए जाते हैं।
	द्वारा, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं या एश्यूरेंस सब—रजिस्ट्रार या अन्य सरकार्र क्षरित माना जाएगा।		
के चार दिन पहले मुख्तारनामे या अ	ी जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित नहीं ह य प्राधिकारी के साथ, यदि कोई हो, जिस स्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित ! । पंजीकृत किया गया हो।	के अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो	ं या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रा
	डेयन बैंक	केमियो कार्पीरे	ट सर्विसेस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्या	लय निवेशक सेवा कक्ष, सालै, रायपेट्टा चेन्नै 600 014	यूनिट : इंडियन ह	ींक सुब्रमणियन बिल्डिंग स रोड चेन्नै 600002
. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की	लिखत अप्रतिसंहरणीय और अंतिम होगी।		
. प्रॉक्सी का लिखत विकल्प के रूप में	दो लोगों के पक्ष में दिए जाने के मामले	में एक से अधिक फार्म निष्पावि	देत नहीं किए जाएंगे।
 ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की ि के लिए हकदार नहीं होगा। 	लेखत निष्पादित की हो, उस असाधारण अ	ाम बैठक से जिससे ऐसी लिख	ात संबंधित हो, व्यक्तिगत रूप से वोट कर
 कोई भी व्यक्ति जो इंडियन बैंक 	का अधिकारी या कर्मचारी हो, विधिवत् प्र	गिधकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी	के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष 254—260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

उपस्थिति पर्ची

(स्थान में प्रवेश करते समय वापस किया जाए)

दिनांक: 20 दिसंबर, 2017 समय: पूर्वाहन 10.30 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600028

पंजीकृत फोलियो सं. :	डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो तो)	(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किये गए हो तो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

मैं, 20 दिसंबर, 2017 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै — 600028, में आयोजित बैंक की असाधारण आम बैठक में एतदद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	



कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष 254-260 अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014

एंट्री पास

(बैठक के दौरान अपने पास ही रखा जाए)

दिनांक : 20 दिसंबर, 2017 समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600 028

पंजीकृत फोलियो :	डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो)	(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किए गए हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
उपस्थित शेयरधारक / प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

स्थान में प्रवेश हेतु, शेयरधारकों/प्राक्सीघारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर करके, एंट्री पास के साथ प्रस्तुत करें। फिर भी, प्रवेश सत्यापन/जाँच के अध्यधीन होगा जैसा आवश्यक माना जाए। किसी भी स्थिति में बैठक हाल के प्रवेश द्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची सह एंट्री पास जारी नहीं किया जाएगा......

> इंडियन बैंक Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : निवेशक सेवा कक्ष 254—260 अब्बै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 (बेलेट पत्र जारी किए जाने हेतु पोलिंग काउंटर में सौंप दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो :		डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी :	
(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज नहीं किये गए हो तो)		(यदि शेयर डीमेटिरियलाइज किए गए हो तो)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक / प्राक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai-600 001.

Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Bank will be held on Wednesday, the December 20, 2017 at 10.30 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028 to transact the following business:

1. To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No.DBOD No.BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 and No.DBR Appt. BC No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated September 03, 2013 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non-official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015 and any amendment made thereunder (herein after referred as GOI guidelines) by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT the Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made there under and RBI Notifications and GOI guidelines, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai

Ф

Date: November 15, 2017

Kishor Kharat

Managing Director & CEO

NOTES

i. EXPLANATORY STATEMENT:

Ф

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

ii. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the December 15, 2017.

iii. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the December 15, 2017.

iv. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

v. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date i.e., on Friday, the November 10, 2017 will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of one Shareholder Director of the Bank (Elections) and to vote in the e-Voting or poll at the Extraordinary General Meeting on election of Shareholder Director and shall have one vote for each share held by him/her on the specified date.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting**.

vi. <u>E-voting</u>

可

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative in respect of Agenda Item, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolution mentioned in the notice of Extraordinary General Meeting of the Bank dated November 15, 2017 (the EGM Notice). The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the e-Voting process in a fair and transparent manner. E-Voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 171117002

A. In case of members receiving e-mail:

- i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii) Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii) Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number-"EVSN" along with "COMPANY NAME" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat Form	For Members holding shares in Physical Form	
User ID	For NSDL : 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL : 16 Digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Company	
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-Voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)		
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.		
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.		

^{*} Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the default number: <Default Number> in the PAN field.

Please enter any one of the details in order to login.

- vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii) Members holding shares in physical form will then reach directly to the voting screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Change' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ %& *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.
- viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.
- ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- x) Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.
- xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- B. In case of members receiving the physical copy of Notice of EGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/depository participant(s) or requesting physical copy]:
- i. Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.
- **C.** Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to **https://www.evotingindia.com** and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
- **D.** The Specified date/cut-off date to ascertain the shareholders eligible to participate in the e-Voting/poll process in the Extraordinary General Meeting is Friday, the November 10, 2017. The voting period starts from 10.00 a.m. on Sunday, the December 17, 2017 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, the December 19, 2017. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the specified date/cut-off date of November 10, 2017, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once shareholder has cast his/her vote on the election, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

E. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

vii) Voting at the Meeting:

The voting for election of Shareholder Director shall be done by remote e-Voting or by voting at the Extraordinary General Meeting. Those who have not exercised the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the Extraordinary General Meeting on the date of the meeting.

Voting will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and will continue upto 12.00 Noon. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the specified date/cut-off date i.e. Friday, the November 10, 2017.

The results of the voting aggregated with the results of e-Voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

viii) **EXPLANATORY STATEMENT TO No.1**:

ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR:

Pursuant to the provisions of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "Act"), the Bank had made an Initial Public Offer (IPO) in the year 2007. At present, the holdings of the public shareholders, other than the Central Government, is 17.90%, in the total paid up share capital of the Bank. As the capital issued to the public is more than 16% but less than 32% of the total share capital of the Bank, two Shareholder Directors are required to be elected in terms of Section 9(3)(i) of the Act.

At present there is only one Shareholder Director, Shri. Vinod Kumar Nagar and he was reelected as Shareholder Director with effect from July 01, 2017. There is one vacancy for shareholder director and the Bank has decided to fill in the said vacancy by election at the Extraordinary General Meeting.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/Regulations/ Notification, the relevant extracts/portions of which are reproduced hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulation Act/Scheme/Regulations/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS NOTIFICATIONS	PROVISIONS		SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act,	Section 16 (1)	>	Prohibition of Common Directors
1949	Section 20	>	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acqui-	Section 3 (2E)	>	Restriction on voting rights
sition and Transfer of Undertak- ings) Act, 1970	Section 9(3)(i)	>	No. of directors to be elected by the share-holders
	Section 9(3A) (A) to (C)	>	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) Section 9(3AB)	>	No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	>	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	>	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks	Clause 9(4)	>	Term of office of elected directors
(Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 10	>	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	>	Vacation of office of Director
	Clause 11A	>	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	>	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	>	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Indian Bank (Shares and	Regulation 10	>	Exercise of rights of joint holders
Meetings) Regulations, 1999 as amended	Regulation 53	>	Voting at General Meetings
	Regulation 55	>	Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 56	>	List of Shareholders
	Regulation 57	>	Nomination of candidates for election
	Regulation 58	>	Scrutiny of nominations
	Regulation 59	>	Election disputes
	Regulation 60	>	Determination of voting rights
	Regulation 61	>	Voting by duly authorized representative
	Regulation 62	>	Proxies

ACT/SCHEME/REGULATIONS NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and DBR Appt.BC No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Under- takings) Act,1970	➤ Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 1618312013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines issued by Government of India for appointment of Non-Official Directors of PSBs dated March 25, 2015 and subsequent amendments and other extant and applicable laws/guidelines		Guidelines for appointment of Part Time Not Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular dated July 01, 2015 – Master Circular No.RBI/2015-16/95, DBR No.Dir.BC.10/13.03.00/2015-16		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and DBR Appt. BC No. 39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 and Government of India Notification F.No.16/83/2016-BO-I dated 03.09.2013 and guidelines of Government of India for appointment of Non-Official Directors dated 25.03.2015 will be hosted in the Bank's website www.indianbank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Indian Bank at their Corporate Office at Investor Services Cell, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai – 600 014 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. December 05, 2017.

1. PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Members/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on the specified date /cut-off date i.e., on Friday, the November 10, 2017 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

2. (a) QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance

- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
 - (RBI, vide its letter dated 24.11.2016 added the following matters, viz. i) Information Technology ii) Payment & Settlement System iii) Human Resources iv) Risk Managementv) Business Management for persons who could be considered for appointment as director in Banks)
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans
- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

3. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- B. If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with No.DBR.Appt.BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 08, 2016 read with OM dated September 03, 2013.

4. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 56 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., (C.D.) will be available at Investor Services Cell at Corporate Office of the Bank from Wednesday, the November 15, 2017 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft in favour of Indian Bank payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Investor Services Cell, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Saturday (other than 2nd and 4th Saturdays) between 11.a.m. to 4.p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

5. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

لو

In terms of Regulation 57 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) He/She is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the November 10, 2017 being the cut-off date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- (b) As on Tuesday, the December 05, 2017, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications.
- (c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Corporate Office of the Bank addressed to the General Manager (Accounts), Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (d) The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director along with his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- (e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www. indianbank.in)

(f) He/She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and Extant GOI Guidelines, from being a director.

6. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

لو

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the General Manager (Accounts), Indian Bank, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah Chennai- 600 014 on any working day on or before 4.00 p.m., on Tuesday, the December 05, 2017.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

7. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- (i) Nominations shall be scrutinized on Wednesday, the December 06, 2017 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- (ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India as well as extant GOI Guidelines issued for appointment of Non Official Directors.
- (iii) If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event, the Extraordinary General Meeting will not be held/conducted. The newly elected director will assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected.
- (iv) In the event of an election being held, if valid nominations are more than one the candidate polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and his name will be published in newspapers.

8. POLL PROCESS on December 20, 2017

The Voting for election of directors shall be done by remote e-Voting or Poll by means of secret Ballot only. The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue upto 12.00 noon. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/Proxy holders/authorized representatives on surrender of Ballot Paper pass issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on November 10, 2017.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and Scrutinizer.

9. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Friday, the December 15, 2017.

10. **DISPUTES**:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 59 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999.

11. EXTRACTS:

As already stated, the Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Scheme/Regulations/ Notification are available in the website of the Bank **www.indianbank.in.** Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Indian Bank at their Corporate Office at Investor Services Cell, No. 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600014 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., December 05, 2017.

Interest of Directors:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date: November 15, 2017

Kishor Kharat Managing Director & CEO



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

NOMINATION FORM

To Managing Director & CEO Indian Bank, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600 014.

(If shares are dematerialized)

Place Date

Dear Sir,

可

ELECTION OF DIRECTORS

shareholde November	r of Indian Bank holding e. 10, 2017 i.e., the Specified date/Cut-off	quity shares of Rs. 10/- each as on f date for participating in the Election,	Friday, the do hereby
	Shri/Smtso		
_	Bank representing the shareholders of	•	
	ompanies (Acquisition and Transfer of	·	, , ,
•	eeting of the Shareholders of the Bank to	5 ,	, ,
г			
	Name		
	Signature		
	No. of shares		
	Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)		
	DP ID No. & Client ID No.		

Notes:

- In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied
 by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature
 of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

Declaration

l,		son/daughter/wife	of	Shri/Smt
	resident of	hereby confirr	n tha	t :

- a. I am a shareholder holding equity shares of the Bank on Friday, the November 10, 2017 i.e. the specified date/ cut-off date for participating in the elections, and
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, IT/ Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of INDIAN BANK; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 and Notification issued by Reserve Bank of India and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that

لو

- h. I have not been at any time adjudged as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP/MLA/MLC/Stock Broker
- I. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and

- m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor; and
- p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Nationalized Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor; and
- q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- r. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- s. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/banks:

Name of the company, bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

(add additional sheets if necessary)

t. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if shares are not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if shares are dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Bank or any Nationalized Bank.

*Delete whichever is not applicable.



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014

PERSONAL INFORMATION OF THE CANDIDATE

AFFIX PASSPOT SIZE PHOTO HERE

NAME OF THE BANK: INDIAN BANK

کو

		Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures	s as appropriate as on2017
ı		Personal details of Candidate	
	а	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	С	Educational Qualifications	
		(Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information). (Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	d	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
	е	Permanent Address	
	f	Present Address	
	g	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	h	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy)(2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	i	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970	
	j	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		Relevant Relationships of Candidate	
	а	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
	С	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	е	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	

'n					
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities list above are in default or have been in default in the credit facilities obtained from the bank or any other	past in respect of		
III Records of professional achievements					
	а	Professional achievements relevant			
IV		Proceedings, if any, against the Can	didate		
	а	If the candidate is a member of a professional details of disciplinary action, if any, pending c resulting in conviction in the past against him/her has been banned from entry of at any profession/time.	or commenced or or whether he/she		
	b Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations				
c Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate					
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifiunder Section 164 of the Companies Act 2013 [S Companies Act, 1956]?	ications envisaged Section 274 of the		
	е	Has the Candidate or any of the entities at II (been subject to any investigation at the instant department or agency?			
	f	Has the Candidate at any time been found guilty o regulations/legislative requirements by customs/e foreign exchange /other revenue authorities, if so	excise/income tax/		
	g	Whether the Candidate at any time come to the a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA (Though it shall not be necessary for a candidate column about orders and findings made by regu been later on reversed/set aside in toto, it would make a mention of the same, in case the reversal/technical reasons like limitation or lack of jurisdiction merit. If the order of regulator is temporarily stayed court proceedings are pending, the same also should be a regulator in the same also	a, MCA CIBIL etc. to mention in the alators which have d be necessary to setting aside is on on, etc. and not on and the appellate/		
V Any other explanation/information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper					
			<u>Undertaking</u>		
		Son/ Daughter/Wife of Sh wledge and belief true and complete. I undertake to luent to my appointment which are relevant to the info	keep the Bank fully	informed, as soo	rm that the above information is to the best on as possible, of all events which take plac
		ndertake to execute the deed of covenant required to	o be executed by all	directors of the	bank.
Pla Dat		Signature	of Candidate		
End	Jaar	ures:			
Not	e:				
		erever space is not sufficient, please attach the infor erence.	mation as annexure	s in chronologic	al order and with appropriate cross
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.					
Observations/Remarks of the Nomination Committee:					
-		Committee Member	Committee I	Member	Committee Chairman
Plac	e .				
Dat	♂.				



Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

DP ID

			Client ID		
	(If shares are not demater	ialized)	(If shares are o	dematerialized)	
I/Weresident/s of ofbeing a shareholder/shareholders of the resident ofor failing him/her, Shri/Smt the district ofin the state ofbehalf at the Extraordinary General Meeting of the Share December 20, 2017 at 10.30 a.m. at IMAGE, MRC Nagar, Rathereof.			Indian Bank, hereby appoin in the distr resident of as my/our proxy holders of the INDIAN BAN	t Shri/Smt	tate of in ny/our ay, the
Signe	ed thisday of	2017	7		
				Please affix	
				15 paise	
				Revenue	
				Stamp	
Sign	ature of Proxy		Signature o	of first named/Sole share	older
Nam	e				
Addr					
			ad ladaina dha Basa E		

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,

Read. Folio No.

- a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing,
- b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing,
- c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Bank.
- 3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

Indian Bank
Corporate Office, Investor Services Cell
254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai 600 014.

Cameo Corporate Services Limited
Unit: Indian Bank
Subramanian Building
1, Club House Road
Chennai-600 002.

- 4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 5. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- 7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of INDIAN BANK.



Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : December 20, 2017

Time

: 10.30 a.m. : IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028

The second secon					
Regd. Folio No.		DP ID & Client ID			
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)			
Name of the Sharehold	er				
Number of Shares					

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on December 20, 2017 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai-600 028.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative



Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : December 20, 2017 Time : 10.30 a.m.

10.30 a.m.

Place: IMAGE, MRC Nagar, Raia Annamalaipuram, Chennai-600 028.

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present	

Shareholders/proxy holders/authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting hall



Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014. (To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder/Pro	xy/Representative present		

